227

कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक : 01 / यो0बजट–26 / 2017– 1237 **दिनांक :** 22.09.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका / साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज / पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2023–24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण एवं वनभूमि पर भू–संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल **रू0 194.253 लाख (एक करोड़ चौरान्बे लाख पचीस हजार तीन सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0–31 / 2017–21 / स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट–31 / 2017– 58 / आ0 व0प0 दिनांक 09.08.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 194.253 लाख (एक करोड़ चौरान्बे लाख पचीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	117.421
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	76.832
कुल :–		**194.253**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) एवं (ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) एवं (ख)**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3 (क) एवं (ख)** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19S240601796580103 तथा पी0 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/ करों, विनियम दरों/ अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक

225

16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–26/2017–** दिनांक–

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–26/2017–** दिनांक–

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका/साहेबगंज/पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2017–18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			31496.30	22801.49	54297.79
i	ii	iii	iv	v	vi
1	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	50.00	15.748	11.401	27.149
2	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	100.00	31.496	22.801	54.297
3	पाकुड़ वन प्रमंडल, साहेबगंज	45.00	14.173	10.261	24.434
	योग :–	**195.00**	**61.417**	**44.463**	**105.880**

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत भू–संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2017–18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			46669.70	26973.14	73642.84
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	50.00	23.335	13.487	36.822
2	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	50.00	23.335	13.487	36.822
3	पाकुड़ वन प्रमंडल, साहेबगंज	20.00	9.334	5.395	14.729
	योग :–	**120.00**	**56.004**	**32.369**	**88.373**
	सकल योग :–	**315.00**	**117.421**	**76.832**	**194.253**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–3(क) 221

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/ थाना नं0	स्थल/ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकवा (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	दुमका	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	हिजला पूर्वी प्रक्षे, दुमका	शिकारीपाड़ा	दुधाजोल	जगतपुर –11	30, 50, 79, 270, 301, 423	30
				रानेश्वर	लैया	धनभाषा–12	1, 48, 88, 112, 133, 194, 358, 537, 562, 905, 901, 895, 881, 870, 854, 861, 837, 874, 77, 832	20
							योगः–	**50**
2	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल	राजमहल दामिन वन क्षेत्र, तालझारी	तालझारी	तालझारी–14	रोरो/कैरासोल	97,415	30
					तालझारी–20	मयूरकोला	3	20
			सकरोगढ़ दामिन वन क्षेत्र, साहेबगंज	बोरियो	बोरियो–10	चतरा धोगोड़ा	1	30
			माण्डरो दामिन वन क्षेत्र, माण्डरो	माण्डरो	मिर्जाचौकी–23,24	गडरा/गोसाईचक उर्फ काण्डाडीहा	154,287,229,235, 244	20
							योगः–	**100**
3	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल			हिरणपुर–125	झरनाटोला	2, 145, 263	25
					लिट्टीपाड़ा–12 एवं 11	गान्डोपहाड़ी एवं तालपहाड़ी	618, 627, 889	20
							योगः–	**45**
							सकल योगः–	**195**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

220

अनुलग्नक–3 (ख)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जानेवाली ''अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत भू–संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं0	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकवा हे0 में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	दुमका	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका	मसलिया	सपचला – 34	रवियाकाटा	176, 206	15
					सपचला – 31	सामपुर	17, 50, 759, 839, 844, 853, 868, 736, 888, 895, 892, 291, 287, 281, 145, 758, 893,300, 269, 262, 149, 263, 217, 448, 822, 158	35
				योगः–				**50**
2	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल	बड़हरवा दामिन वन क्षेत्र, बड़हरवा	पतना	रांगा–10	केशचिपरी	19	50
				योगः–				**50**
3	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल	पाकुड		हिरणपुर–62	भंडारो	91, 57	20
								20
				सकल योगः–				**120**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

-219-

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-26/2017/1237 दिनांक - 22-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	66034	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	3,908,300.00 रुपये उनचालीस लाख आठ हजार तीन सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	66035	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	5,483,100.00 रुपये चौपन लाख तिरयासी हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	66036	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,350,700.00 रुपये तेइस लाख पचास हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			

योग: 11,742,100.00

अंकों में योग: रुपये एक करोड सत्रह लाख बयालीस हजार एक सौ

(SHRI SATNAM SINGH
ADDI.PCCF(DEV.) JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 22/9/2017

पत्र संख्या - 01/YB-26/2017/1237 दिनांक - 22-Sep

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	66038	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	2,488,800.00 रुपये चौइस लाख अठयासी हजार आठ सौ
5	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	66040	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	3,628,800.00 रुपये छत्तीस लाख अठाइस हजार आठ सौ
6	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	66041	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,565,600.00 रुपये पंद्रह लाख पैसठ हजार छः सौ

योग: 7,683,200.00

कुल योग: 19,425,300.00

रुपये एक करोड चौरानवे लाख पच्चीस हजार तीन सौ

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(DEVELOPMENT)

JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 22/9/2017